



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269065
CG-DL-E-02012026-269065

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2026/पौष 12, 1947

No. 05]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2026/PAUSHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026

सं. 01/2026-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 5(अ).— जहां कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “फलेक्सिबिल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल, जिसका अणुभार 3000-4000 तक हो” जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उपशीर्षक 3907 29 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 251(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात् जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिककरण अधिसूचना फा. सं. 7/03/2025, दिनांक 18 मार्च, 2025, जिसे दिनांक 18 मार्च, 2025 को भारत के

राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपादन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 251(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

- “3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह प्रतिपादन शुल्क दिनांक 17 जून, 2026 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।”।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/68/2025-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रमुख अधिसूचना संख्या 20/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 अप्रैल, 2021, जिसे, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 251(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 78/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 दिसंबर 2021 के माध्यम से किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि 909(अ), दिनांक 29 दिसंबर 2021 के तहत प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2026

No. 01/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 5(E).— Whereas, the designated authority *vide* initiation Notification No. 7/03/2025-DGTR dated 18th March 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th March 2025, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Flexible

Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000” falling under tariff sub heading 3907 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Saudi Arabia and United Arab Emirates, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/2021-Customs (ADD), dated the 5th April 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 251(E), dated the 5th April 2021, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/2021-Customs (ADD), dated the 5th April 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 251(E), dated the 5th April 2021, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely:-

- “3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty shall remain in force up to and inclusive of the 17th June, 2026, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. CBIC-190349/68/2025-TRU Section-CBIC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 20/2021-Customs (ADD), dated the 5th April 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 251(E), dated the 5th April 2021 and was last amended *vide* notification No. 78/2021-Customs (ADD) dated the 29th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 909(E), dated the 29th December, 2021.